समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्याः– 1709 / 71–2–17–4 / 2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2017

विषयः नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–769 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 10.03.2017, शासनादेश संख्या–905 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 27.03.2017, शासनादेश संख्या–1023 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 31.03.2017 तथा शासनादेश संख्या–1685 / 71–2– 2017–4 / 2017, दिनांक 20.05.2017 द्वारा नीट पी0जी0 2017 की काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है।

2– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.V.11011/1/2015-MEP, दिनांक 11.05.2017 एवं पत्र संख्या–V.12025/181/2016-DE, दिनांक 11.05.2017 तथा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–224 / 2017 एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2017 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या–एमई–3 / 2017 / 278, दिनांक 18.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी0जी0, 2017 (शैक्षणिक सत्र 2017–18) के लिए राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओ / अल्पसख्यक विश्वविद्यालयो / डीम्ड विश्वविद्यालयों आदि में अवशेष सीटों पर माप–अप राउण्ड के माध्यम से काउंसिलिंग / प्रवेश तथा काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् कार्यवाही हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु मॉप–अप राउण्ड–

1. द्वितीय राउण्ड की काउंसिलिंग / प्रवेश प्रकिया दिनांक 23.05.2017 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य मेरिट सूची में पूर्व से पंजीकृत अवशेष अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर माप–अप राउण्ड के माध्यम से दिनांक 25.05.2017 को प्रदेश के राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु टेलीमेडिसिन सेन्टर एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में on Spot काउंसिलिंग / प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी एवं जे0एन0एम0सी0 ए0एम0यू0 अलीगढ संस्थानों की अवशेष सीटों पर माप–अप राउण्ड के माध्यम से काउसिलिंग / प्रवेश की कार्यवाही उनके बायलाज के अनुसार टेलीमेडिसिन

सेन्टर एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में on Spot दिनांक 25.05.2017 को सुनिश्चित की जायेगी।

3. माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित न हुई हो। (प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन–प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।)
4. माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले समस्त छात्रों को काउंसिलिंग शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) के रूप में रू0 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से हो, जमा किया जाना अनिवार्य होगा, यह धनराशि पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।

<u>निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु माप–अप राउण्ड–</u>

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं/अल्पसख्यंक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों आदि की द्वितीय राउण्ड की काउंसिलिंग/प्रवेश के पश्चात् अवशेष सीटों पर माप–अप राउण्ड के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- सेकेण्ड राउण्ड की काउंसिलिंग दिनांक–23 मई, 2017 को पूर्ण होने तक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने/त्यागपत्र देने के फलस्वरूप निजी मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की रिक्त/अनावंटित सीटों को मॉप–अप राउण्ड के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के समय समस्त मूल अभिलेखों को काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आवंटित कालेज में प्रवेश की कार्यवाही काउंसिलिंग स्थल पर ही सम्पन्न करानी होगी। मूल अभिलेख न होने की दशा में अभ्यर्थी सीट–आवंटन हेतु अर्ह नहीं होंगे। काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को व्यक्तिगत् रूप से काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

2- माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित न हुई हो। (प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन–प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।)

3- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले समस्त छात्रों को काउंसिलिंग शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) के रूप में रू0 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से हो, जमा किया जाना अनिवार्य होगा, यह धनराशि पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।

4- माप–अप राउण्ड प्रकिया में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्रों से सिक्योरिटी धनराशि रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से हो, जमा किया जायेगा। आवंटित कालेज में प्रवेश लेने के पश्चात उक्त सिक्योरिटी धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी अथवा फीस में समायोजित कर दी

जायेगी। सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की स्थिति में सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5- माप–अप राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन स्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी, जिसमें छात्रों को अपने मूल अभिलेखों तथा कालेजों हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क सहित व्यक्तिगत रूप से काउंसिलिंग स्थल टेलीमेडिसिन सेन्टर एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

6- माप–अप राउण्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के प्रतिनिधियों द्वारा टेलीमेडिसिन सेन्टर, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में काउंटर लगाकर आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

7- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर ही (on Spot) प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में सीट का आवंटन रद्द कर वह सीट काउंसिलिंग–प्रक्रिया में सम्मिलित कर ली जाएगी एवं अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी।

निजी क्षेत्र हेतु माप–अप राउण्ड के लिए समय सारिणी

क0सं0	विषय	प्रस्तावित तिथि	विवरण
1	पूर्व से पंजीकृत छात्रों हेतु माप अप राउण्ड	26.05.2017	
2	नीट पी0जी0 2017 में अर्ह अभ्यर्थियों को द्वितीय आनलाइन पंजीकरण हेतु ईमेल/एस0एम0एस0/समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाना।	दिनांक 24 एवं 25 मई, 2017 को	
3	ऑनलाईन पंजीकरण (एन0आई0सी0 के माध्यम से)	26 मई 2017 की मध्य रात्रि (12:01 A.M)से 27 मई 2017 की मध्य रात्रि (11:59 P.M.) तक	निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं करा सके है तथा जो भारत सरकार द्वारा NEET M.D.S. Percentiles को डाउनग्रेड किए जाने से अर्हता के क्षेत्र में आ गये है, के द्वारा एन0आई0सी0 की साइट पर पुनः आन लाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। उक्त पंजीकरण हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के समस्त नीट क्वालीफाईड अभ्यर्थी अर्ह होंगे। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ डीम्ड विश्वविद्यालयों/ अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के समस्त नीट क्वालीफाईड अभ्यर्थी अर्ह होंगे। उक्त पंजीकरण हेतु शुल्क रू0 1000/ ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किया जायेगा।
4	नवीन मेरिट सूची का एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर प्रदर्शन	दिनांक 28 मई 2017	नवीन पंजीकृत छात्रों को पूर्व से पंजीकृत छात्रों की मेरिट सूची के साथ सम्मिलित करते हुये मात्र निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु मेरिट सूची (मेडिकल एवं डेण्टल अलग अलग) के0जी0 एम0यू0, लखनऊ के माध्यम से दिनांक 28 मई

			2017 तक तैयार कराते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी
5	रिक्त सीटों का आवंटन एवं ऑन स्पाट प्रवेश प्रक्रिया का सम्पादन	दिनांक 29 मई 2017 से 30 मई 2017 तक	टेलीमेडिसिन सेन्टर, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सम्पन्न कराई जायेगी।

3— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या—224 / 2017(सिविल) एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2017 के अनुपालन में नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:—

(i) शासनादेश संख्या—769 / 71—2—2017—4 / 2017, दिनांक 10.03.2017 के प्रस्तर—10 में उल्लिखित काउंसिलिंग बोर्ड में माप—अप राउण्ड के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को काउंसिलिंग बोर्ड में सम्मिलित किया जाता है:—

1. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रबन्धक / नामित प्रतिनिधि (मेडिकल)
2. सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ के प्रबन्धक / नामित प्रतिनिधि (डेण्टल)
3. तीर्थांकर महावीर मेडिकल / डेण्टल कालेज, मुरादाबाद के प्रबन्धक / नामित प्रतिनिधि (अल्पसंख्यक)
4. श्री राममूर्ति मूर्ति स्मारक इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली के प्रबन्धक / नामित प्रतिनिधि (मेडिकल)।
5. संतोष विश्वविद्यालय, गाजियाबाद के नामित प्रतिनिधि।

(ii) निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों आदि में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ट्यूशन फीस के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग कमेटी को प्रस्तुत किया जाना होगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित संस्थान को अग्रसारित किया जायेगा। शुल्क आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये।

(iii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित सीट्स यदि हो तो, अल्पसंख्यक छात्रों से मेरिट के आधार पर भरी जायेंगी। यदि अल्पसंख्यक संस्थाओं मे अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित सीटें अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों से नहीं भरी जा सकती हैं तो उन्हे सामान्य श्रेणी के छात्रों की मेरिट के आधार पर भरा जाये।

4— नीट 2017 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रवेशित छात्रों की अंतिम सूची दिनांक 31—5—2017 को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.03.2017, शासनादेश दिनांक 27.03.2017, शासनादेश दिनांक 31.03.2017 तथा

शासनादेश दिनांक 20.05.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1709(1)/71–2–2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति/कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सचिव, मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/ विश्वविद्यालय/ अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।